UPSH010027782026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, शाहजहाँपुर।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1010/2026

रामनरेश शुक्ला उर्फ नन्हें उर्फ रामास्वामी पुत्र स्व 0 मेवाराम, आयु करीब 74 वर्ष, निवासी मो0 खत्ता, कस्बा व थाना शाहाबाद, जिला हरदोई।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार।

मुकदमा अपराध संख्या–15/2024,
धारा–420, 467, 468, 471 भा0 दं0 सं0,
थाना–निगोही, जिला–शाहजहाँपुर।

24–06–2026

अभियुक्त/आवेदक रामनरेश शुक्ला उर्फ नन्हें उर्फ रामास्वामी की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–15/2024, धारा–420, 467, 468, 471 भा0 दं0 सं0, थाना–निगोही, जिला–शाहजहाँपुर के मामले में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त/आवेदक जिला कारागार में निरूद्ध है।

जमानत प्रार्थनापत्र के साथ अफशान अली पुत्र युसूफ अली द्वारा शपथपत्र दाखिल किया गया है, जिसके अनुसार अभियुक्त/आवेदक का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा अन्य किसी न्यायालय में न तो लम्बित है और न ही खारिज हुआ है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा श्री मो0 कयूम खां द्वारा थाना निगोही पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी कि उसकी मुलाकात करीब दो माह पहले रामनरेश नाम व्यक्ति से हमजापुर चौराहा हुयी। उसने बताया कि गेल इण्डिया कं0 का परियोजना प्रबन्धक हूँ। मेरा आफिस निगोही में है। मुझे आफिस में काम करने के लिये कर्मचारियों की आवश्यकता है। वादी ने उसकी बात पर विश्वास कर अपनी बेटी अलैना व साले अरशिल को कागजात लेकर रामनरेश के पास भेज दिया। रामनरेश ने उसके दोनों बच्चों को काम पर रख लिया और उसकी बेटी को 28000 व साले को 22000 रू0 सैलरी देने को कहा और फर्जी नियुक्तिपत्र तैयार कर उसके बच्चों को दे दिये। उसके बच्चे दो महीने काम करते रहे तब उसने बच्चों से सैलरी के बारे में पूछा तब उन्होंने कहा कि आफिस में किसी को सैलरी नहीं मिली है। जब वादी काम के बारे में पूछा तो बताया कि कम्पनी गैस पाइपलाइन बिछाने का टेण्डर निकालने का काम कर रही है। जब उसे शक हुआ तो उसने कम्पनी के बारे में जानकारी की, तब पता चला कि रामनरेश नाम का व्यक्ति मूल रूप से शाहाबाद (हरदोई) का रहने वाला है और फर्जी आई 0 डी0 बनाकर यहाँ पर फर्जी आफिस बनाकर लोगों को ठग रहा है। इस व्यक्ति ने पहले भी इस तरह का काम करके ठगी की है तथा बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अत: आवश्यक कार्यवाही किये जाने

का अनुरोध किया गया।

अभियुक्त/आवेदक की ओर से मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि वह पूर्णत: निर्दोष है। उसको रंजिशन झूँठा फँसाया गया है। आरोप निराधार व मनगढ़न्त हैं। प्रीती शुक्ला से दो लाख रूपये लेने के सम्बन्ध में फर्द में जो तथ्य अंकित है, उसके सम्बन्ध में प्रीती शुक्ला का कोई बयान सी0 डी0 में अंकित नहीं है। अभियोजन की कहानी अनेक महत्वपूर्ण विरोधाभासों एवं कमियों से ग्रसित है। वादी एवं कथित पीड़िता अलैना के बयानों में वेतन राशि को लेकर स्पष्ट विरोधाभास है, जिससे घटना संदिग्ध प्रतीत होती है। इसी प्रकार फर्द बरामदगी में प्रीती शुक्ला से संबंधित रू 2,00,000/– के लेन–देन का उल्लेख है, जबकि इस संबंध में उसका कोई बयान केस डायरी में अंकित नहीं है। अभियुक्त की गिरफ्तारी तथा मोबाइल, कंप्यूटर एवं कथित फर्जी दस्तावेजों की बरामदगी के समय किसी स्वतंत्र सार्वजनिक गवाह को शामिल नहीं किया गया, जबकि बरामदगी स्थल भीड़–भाड़ वाला क्षेत्र था। बरामद वस्तुओं पर फिंगरप्रिंट परीक्षण भी नहीं कराया गया। पुलिस द्वारा गवाहों के उपलब्ध न होने का उल्लेख किया गया है, किन्तु किसी व्यक्ति को विधिक रूप से सहयोग हेतु नोटिस देने या कार्यवाही करने का कोई प्रमाण नहीं है, जिससे संपूर्ण बरामदगी एवं विवेचना की निष्पक्षता संदिग्ध प्रतीत होती है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी पूर्व में किसी भी आपराधिक मामले में सजायाफ्ता नहीं है। अतः उसे दौरान विचारण जमानत पर रिहा किया जाये।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत का विरोध करते हुये यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त द्वारा गेल इण्डिया कम्पनी परियोजना का प्रबन्धक बनकर वादी मुकदमा की पुत्री व उसके साले को कूटरचित नियुक्ति पत्र बनाकर नौकरी देकर छल करने, फर्जी ज्वाइनिंग लेटर बनाकर कूटरचना करने, कूटरचित तरीके से तैयार किये गये प्रपत्र को छल के प्रयोजन हेतु उपयोग करने एवं कूटरचित नियुक्ति पत्र व गेल इण्डिया कम्पनी के परियोजना के प्रबन्धक के प्रपत्र का प्रयोग असल के रुप में प्रयोग किया गया है। दौरान विवेचना अभियुक्त की गिरफ्तारी हुयी है तथा उसके कब्जे से 15 अदद सेट बायोडाटा टाईपशुदा, 20 अदद कूटरचित नियुक्ति पत्र, गैस अथारिटी आफ इंडिया कार्यालय, शाहजहाँपुर कम्प्यूटर युक्त टाईपशुदा, 01 अदद कूटरचित आधार कार्ड, 01 अदद पैन कार्ड, 13 टेंडर फाईल गैस अथारिटी आफ इंडिया कार्यालय, शाहजहाँपुर, 01 कूटरचित आईडेंटिटी कार्ड, 04 अदद मोबाईल फोन (01 एन्ड्राईड, 03 कीपैड), 03 अदद तख्ती लकड़ी, 07 मोहर अलग–अलग मय इंक पैड, 12 रोड मैप गैस अथारिटी आफ इंडिया कार्यालय, शाहजहाँपुर कम्प्यूटर युक्त टाईपशुदा, 57 विजिटिंग कार्ड, 325 लैटर पैड गैस अथारिटी आफ इंडिया, एक अदद सी.पी.यू., एक अदद एल.सी.डी. मॉनिटर, एक अदद यूपीएस माईक्रोटेक कंपनी, एक अदद की–बोर्ड, एक अदद माउस व दो अदद पावर केबिल व दो अदद वी.जी.ए. केबिल, एक अदद प्रिण्टर व 90650/– रू0 नकद बरामद हुआ है। अभियुक्त का अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का

अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त/आवेदक पर गेल इण्डिया कम्पनी परियोजना का प्रबन्धक बनकर वादी मुकदमा की पुत्री व उसके साले को कूटरचित नियुक्ति पत्र बनाकर नौकरी देकर छल करने, फर्जी नियुक्ति पत्र बनाकर कूटरचना करने, कूटरचित तरीके से तैयार किये गये प्रपत्र को छल के प्रयोजन हेतु उपयोग करने एवं कूटरचित नियुक्ति पत्र व गेल इण्डिया कम्पनी के परियोजना के प्रबन्धक के प्रपत्र का प्रयोग असल के रुप में प्रयोग किये जाने का गम्भीर आरोप है। अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि दिनांक: 07–01–2024 को अभियुक्त को पुलिस दल द्वारा गिरफ्तार किया गया। जामा तलाशी पर उसके कब्जे से 15 अदद सेट बायोडाटा टाईपशुदा, 20 अदद कूटरचित नियुक्ति पत्र, गैस अथारिटी आफ इंडिया कार्यालय, शाहजहाँपुर कम्प्यूटर युक्त टाईपशुदा, 01 अदद कूटरचित आधार कार्ड, 01 अदद पैन कार्ड, 13 टेंडर फाईल गैस अथारिटी आफ इंडिया कार्यालय, शाहजहाँपुर, 01 कूटरचित आईडेंटिटी कार्ड, 04 अदद मोबाईल फोन (01 एन्ड्राईड, 03 कीपैड), 03 अदद तख्ती लकड़ी, 07 मोहर अलग–अलग मय इंक पैड, 12 रोड मैप गैस अथारिटी आफ इंडिया कार्यालय, शाहजहाँपुर कम्प्यूटर युक्त टाईपशुदा, 57 विजिटिंग कार्ड, 325 लेटर पैड गैस अथारिटी आफ इंडिया, एक अदद सी.पी.यू., एक अदद एल.सी.डी. मॉनिटर, एक अदद यूपीएस माईक्रोटेक कंपनी, एक अदद की–बोर्ड, एक अदद माउस व दो अदद पावर केबिल व दो अदद वी.जी.ए. केबिल, एक अदद प्रिन्टर व 90650/– रू0 नकद बरामद होना दर्शाया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना उपरान्त आरोपपत्र प्रेषित किया जा चुका है। आरोपित अपराध समाज के व्यापक हित को प्रभावित करने वाले आर्थिक एवं विश्वासघात सम्बन्धी अपराध है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये मामले के गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण की गम्भीरता एवं अपराध में अभियुक्त/आवेदक की कथित घटना में संलिप्तता को देखते हुये अभियुक्त/आवेदक का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तद्नुसार अभियुक्त/आवेदक द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त/आवेदक **रामनरेश शुक्ला उर्फ नन्हें उर्फ रामास्वामी** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1010/2026, अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्या–15/2024, धारा–420, 467, 468, 471 भा0 दं0 सं0, थाना–निगोही, जिला–शाहजहाँपुर, निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 24–06–2026

(सुरेश कुमार शर्मा)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
शाहजहाँपुर।